प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : **140811/ 50930**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (**जबलपुर**), मध्यप्रदेश

स्कूल: **PRATIBHASTHALI GYANODAYA VIDYAPEETH**

मान्यता का प्रकार - **नवीनीकरण मान्यता**

मान्यता दिनांक - **31/03/2022**

Signature valid
Digitally signed by
Date: 2022.03.31 14:56:43 +05:30
Reason: Issued By: deo jabalpur

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक **(PRATIBHASTHALI GYANODAYA VIDYAPEETH)**

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **08/02/2022** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यव्हार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - **PRATIBHASTHALI GYANODAYA VIDYAPEETH** डाइस कोड - **23390220134** स्कूल क्रमांक - **PS 50930** को कक्षा **पहली** से **आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2022 से 31/03/2025** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्द्ता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी
- स्कूल निःशिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेंगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात मे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नही करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेंगा -
  - o (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - o किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा;
  - o प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - o अधिनियम के उपबंधो के अनुसार नि:शक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरद्दष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - o प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिद्दष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल का विवरण										
स्कूल	**डाइस कोड**	शैक्षणिक सत्र	जिला	क्षेत्र का प्रकार	विकास खण्ड(ब्लॉक)	ग्राम / वार्ड	पिन कोड़	पुलिस थाना	रेखांश	अक्षांश
PRATIBHASTHALI GYANODAYA VIDYAPEETH	23390220134	17	जबलपुर	शहरी	JABALPUR (URBAN)	Ward -3 tirpuri	482001	थाना गरहा	23.1677413	79.9248416

स्कूल की सामान्य जानकारी	
स्कूल प्रारंभ होने की तिथि	**30/06/2006**
क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है?	हाँ
सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम	**Pratibhasthali Trust,Jabalpur**
सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक	**412**
स्वामी का नाम	
स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम	**Shri Sandesh Jain**
पदनाम	**President**
मोबाइल	**9827013921**
ई-मेल	**sanmati921@gmail.com**
कार्यालय का पता	**14/205, SBI, Behind Zonal Office, Vijaynagar, Jabalpur (M.P)**
कार्यालय का दूरभाष	**9827013921**

स्कूल की प्रकृति	
शिक्षण का माध्यम	**हिन्दी**
मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार	बालिका विध्यालय
क्या स्कूल आवासीय है?	**हाँ**
क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चो हेतु संचालित है?	**नहीं**
क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	**हाँ**
प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा	**पहली**
प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश की न्यूनतम आयु	**9**
स्कूल की अंतिम कक्षा	**आठवीं**
क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है?	**नहीं**
क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है?	**हाँ**
प्राधिकारी का नाम	**CBSE**
मान्यता क्रमांक	**1030322**
डाइस कोड(DISE)	

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (Jabalpur), मध्यप्रदेश

दूरभाषः- ______________ फैक्सः ____________ ई-मेलः

क्रमांकः/392511309/स्कूल आई.डी. - 50930 दिनांकः- 31/03/2019

प्रति,

प्रबंधक,

(PRATIBHASTHALI GYANODAYA VIDYAPEETH)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 11/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -PRATIBHASTHALI GYANODAYA VIDYAPEETH, DAYODAYA TIRTH
TILWARA GHAT
JABALPUR
MADHYA PRADESH को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दषा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पष्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को षारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।